इन्तकाल — उदयपुरवाटी 275/11

दिनांक	आज्ञा पत्र
-8-24	प्रकरण में वकील निगरानीकर्ता ने धारा 152 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि निगरानीकर्ता इन्तकाल की [illegible] उनके [illegible] वारिसान [illegible] के वारिसान [illegible] किये होने से रह गया है अतः निर्णय संशोधित किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है निर्णय में लिपिकीय त्रुटि पायी जाती है अतः धारा 152 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि निर्णय दि. 2-8-24 के अनुसार में इन्तकाल के स्थान पर उक्त वारिसान दुर्गादेवी, फूलचंद, बेगाराम, मंजूदेवी, गोपालचंद, जैदीदेवी का नाम दर्ज किया जावे तदनुसार निर्णय संशोधित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार प्रस्तुत हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन [illegible] सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 275/2011

1 हणमान पुत्र मुना उम्र 73 साल जाति जाट निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मु. उच्छव कंवर बेवा बहादूर सिंह
2 भंवर सिंह पुत्र बहादूर सिंह
3 महावीर सिंह पुत्र बहादूर सिंह
4 सज्जन कंवर पुत्री बहादूर सिंह
5 स्वरूप कंवर पुत्री बहादूर सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील व जिला सीकर।
6 जीवण सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी जायल तहसील व जिला नागोर राज.
।
7 रणजीत सिंह पुत्र मुकन्द सिंह (नाम हजफ)
8 जसवन्त सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासीगण सरवड़ी तहसील व जिला सीकर।
9 सुमेर सिंह पुत्र गणपत सिंह (नाम हजफ)
10 मदन सिंह पुत्र गणपत सिंह
11 प्रेम सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासीगण सिंगरावट गढ़ के अन्दर सिंगरावट जिला सीकर।
12 दीपसिंह पुत्री इन्द्रसिंह पुत्र बागसिंह
13 अमरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह पुत्र बागसिंह
14 राजवीर सिंह पुत्र नरपत सिंह पुत्र रामसिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 कृपाल सिंह पुत्र नरपत सिंह पुत्र रामसिंह
16 कंवर पत्नी नरपत सिंह
17 उम्मेद सिंह पुत्र संतसिंह
18 अर्जुन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह
जति राजपूत निवासीगण दाऊसर जिला नागौर राज.।
19 भवानी सिंह पुत्र स्व. कानसिंह
20 शम्भुसिंह पुत्र स्व. कानसिंह
21 मूलसिंह पुत्र स्व. कानसिंह
22 रघुवीर सिंह पुत्र स्व. कानसिंह
जाति राजपूत निवासीगण सरवड़ी तहसील व जिला सीकर। हाल प्रोफेसर कॉलोनी व्यापार मण्डल पास हनुमानगढ़ टाउन।
23 रूकमणी बेवा स्व कानसिंह जाति राजपूत निवासी सरवड़ी तहसील व जिला सीकर हाल हनुमानगढ़ टाउन।
24 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2011
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर
बउनवानी वाद हणमान बनाम उच्छव कंवर
मु.नं. 89/2008

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भेभाराम, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:—02.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2008 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी/अपीलांट ने एक वाद उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 343 वाके ग्राम सरवड़ी का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने आधारों पर कयास लगाकर निर्णय दिया है जो कानूनन वैध नहीं है। प्रार्थी/अपीलांट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर विचारण न्यायालय ने नहीं देकर भी भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने जवाब में चल रहे दावे को बिना जवाब दावा बन्द किये ही कानूनी प्रावधानों की बगैर पालना किये ही वाद को निरस्त कर भारी कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का समुचित रूप से अध्ययन नहीं करके विचाराधीन निर्णय पारित करने में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2011 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी चाही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से दावा प्रस्तुत करने तक वादी अपीलांट अथवा उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से कब्जा काश्त होने के आधार पर खातेदारी चाही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादी अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से दावा प्रस्तुत करने तक वादी अपीलांट अथवा उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त में होना साबित होता हो। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर